

पुनरीक्षणकर्ता मै0 सिंघल ट्रेडिंग कम्पनी मुरैना द्वारा विष्णु अग्रवाल द्वारा श्री पी0के0 वर्मा अधि0 उप0।

प्रतिपुनरीक्षणकर्ता मै0 गांगिल ट्रेडिंग कम्पनी गोहद द्वारा श्री शिवचरन लाल अनिर्वाहित।

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से व्यक्त किया गया कि मूल परिवाद कं0 558/11 उनवान मै0 गांगिल ट्रेडिंग कम्पनी गोहद बनाम मै0 सिंघल ट्रेडिंग कम्पनी मुरैना की अपील कं0 74/17 में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने से मूल प्रकरण भी समाप्त हो गया है इस कारण यह पुनरीक्षण निरर्थक हो गयी है। पुनरीक्षण पर बल न देते हुये निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

सुने जाने एवं प्रकरण का अध्ययन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय के ज्ञान में है कि गोहद बनाम मै0 सिंघल ट्रेडिंग कम्पनी मुरैना अंतर्गत धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम की अपील कं0 74/17 में दि0 09.12.17 को आयोजित लोकअदालत में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होकर विष्णु अग्रवाल को दोषमुक्त किया गया है तथा मूल परिवाद में दोषसिद्धि को अपास्त किया गया है जिसके आधार पर दोनों प्रकरण निराकृत हो चुके हैं इस कारण मूल परिवाद में अंतरिम रूप से किये गये आदेश की यह पुनरीक्षण निरर्थक हो जाती है।

अतः यह पुनरीक्षण निरर्थक होने से निरस्त की गयी।

प्रकरण का नतीजा दर्ज कर अभिलेखागार में दर्ज किया जाये।

अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)